



XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला-शहडोल

प्रकरण क्रमांक रेस्टो.2351-दो/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-7-15	आवेदक की ओर से श्री एस.के.अवस्थी, अभि. उप. । उन्होंने रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत किया । प्रकरण रेस्टोरेशन आवेदन पर आदेशार्थ ।	 सदस्य
31-8-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । विचारोपरान्त आवेदक अभि. द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण क्रमांक आर 1842-दो/06 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड ही ।	 सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक

/2015

जिला - शहडोल

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
क्रमांक १८६२१/१५  
द्वारा आज दिनांक २५-६-१५ को प्रस्तुत

शह शह २०१

—आवेदक

विरुद्ध

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
क्रमांक १८६२१/१५

रामनिया

—अनावेदक

शह शह २०१

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक १८६२१/१५ माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक २५/६/१५ को नियत था।
- 2 यह कि नियत दिनांक २५/६/१५ को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को २५/६/१५ को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।
- 3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक १८६२१/१५ पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।